



बी ज-उम है/कार्य सं 1, 10
से जाव जाणत 7.1. शक्यत रूप से पेश करे।
वकील शर्मा तीन दिवस में शर्मा सं. 3 से 5,
7, 9, 12 से 17 के नोटिस तलवाना पुनः पेश करे
जो पेश होने पर जारी हो। मिसल दिनांक 17-4-18
को पेश हो।

पीयूष समरिया

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

17-4-18

वकुल. ए. फरो. उप. / पी. ओ. सा. दीगर प्रशा. कार्यो
व्यस्त/.....

पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी. ओ.
समक्ष दिनांक..... 01-6-18..... को पेश हों। शर्मा
सं. 9 के वास्तु पत्र वाटे द्वारा जो संयुक्त परिवार,
शर्मा सं. 3 व 10 पुत्र द्वारा जो संयुक्त परिवार
है की रिपोर्ट, शर्मा सं. 11 के नोटिस पर
लेने से रजिस्ट्रार की रिपोर्ट, शर्मा सं. 5, 7, 13 से
17 के नोटिस पर दिए पत्र पर निवास
नहीं करने की रिपोर्ट प्राप्त।

30-4-18

राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु प्रकरण आज
नम्बर पर लिया गया। इस हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो। मिसल
कैम्प..... नरवदखेण में दिनांक 01-6-18 को पेश हो।

पीयूष समरिया

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर.

01-6-18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प नरवदखेण
में पेश हुई। अंतिम सूत्र वाद सं. 83/2017 में बंटवारे
की शुरुआत डिडी पॉलिसि फिल जाने से अब इस
पत्रावली पर कोर्ट कार्यवाही संपन्न नहीं रहती
है। धन: उसी स्तर पर ड्राफ्ट की जाती है। मिसल
पैसल सुमार डोकर मम्बर से प्राप्त हो।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर